संख्या-7/18/1/2008/का-2/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 28 जुलाई, 2015

विषय- राज्याधीन लोक सेवाओं में समूह-'क' एवं समूह-'ख' के पदों पर, पदोन्नति के प्रक्रम पर, विकलांगजन को आरक्षण की अनुमन्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि समूह-'ग' से समूह-'ख' के पद पर विकलांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-1630(एसबी)/2013, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजीव कुमार जैन व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनॉक 24-09-2014 एवं उक्त के संबंध में राज्य सरकार द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-4641/2015 स्टेट ऑफ यूपी एण्ड अदर्स बनाम संजीव कुमार जैन एण्ड अदर्स में मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 20-03-2015 के समादर में, शासन द्वारा तदविषयक पूर्व निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनॉक 03-02-2008 के संलग्नक के प्रस्तर-1(।।) को, सम्यक् विचारोपरांत निम्नानुसार प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है-

''समूह-क, ख, ग और घ के पदों पर, जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, पदोन्नति के मामले में 03 प्रतिशत रिक्तियाँ विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी, जिसमें से 01-01 प्रतिशत रिक्तियॉ (1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (।।) श्रवण ह्रास और (।।।) चलन-क्रिया संबंधी नि:शक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए, उन विकलांगताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षित होंगी।''

2 उपर्युक्त प्रतिस्थापन के फलस्वरूप उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 03-02-2008 (यथासंशोधित) के विभिन्न प्रस्तरों में, समूह-'ग' एवं समूह-'घ' के पदों पर विकलांगजनों की पदोन्नति के प्रक्रम पर, जो प्राविधान संप्रति विद्यमान हैं, वे समूह-'क' एवं 'ख' के पदों पर पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में, उक्त सीमा तक स्वत: संशोधित समझे जाएंगे।

3 कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/18/1/2008/का-2/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
3 निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
6 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8 सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
11 संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को 1000 प्रतियॉ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
12 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in